



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-26072023-247623
CG-MH-E-26072023-247623

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 524]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 26, 2023/श्रावण 4, 1945

No. 524]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 26, 2023/SHRAVANA 4, 1945

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 26 जुलाई, 2023

सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/141.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (ग) के साथ पठित धारा 30 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा यह निर्धारित करता है कि:-

- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2023 के विनियम 3 का उप-विनियम (XII) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से लागू होगा।
- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2023 के विनियम 3 के निम्नलिखित प्रावधान 1 जनवरी, 2024 से लागू होंगे, अर्थात्:-
 - उप-विनियम (I) के खंड (ii) और (iii);
 - उप-विनियम (V);
 - उप-विनियम (VI);
 - उप-विनियम (VIII);
 - उप-विनियम (IX);
 - उप-विनियम (X);
 - उप-विनियम (XI);
 - उप-विनियम (XV);
 - उप-विनियम (XVI);

- x. उप-विनियम (XVII);
- xi. उप-विनियम (XVIII);
- xii. उप-विनियम (XIX);
- xiii. उप-विनियम (XX);
- xiv. उप-विनियम (XXI);
- xv. उप-विनियम (XXII);
- xvi. उप-विनियम (XXIII);
- xvii. उप-विनियम (XXV); और
- xviii. उप-विनियम (XXVI)।

बबीता रायडू, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./306/2023-24]

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 26th July 2023

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/141.—In exercise of the powers conferred by section 30 read with clause (c) of sub-section (2) of section 11 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby appoints: -

1. that sub-regulation (XII) of regulation 3 of the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2023 shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.
2. the 1st day of January, 2024 as the date on which the following provisions of regulation 3 of the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2023, shall come into force, namely:-
 - i. clauses (ii) and (iii) of sub-regulation (I);
 - ii. sub-regulation (V);
 - iii. sub-regulation (VI);
 - iv. sub-regulation (VIII);
 - v. sub-regulation (IX);
 - vi. sub-regulation (X);
 - vii. sub-regulation (X1);
 - viii. sub-regulation (XV);
 - ix. sub-regulation (XVI);
 - x. sub-regulation (XVII);
 - xi. sub-regulation (XVIII);
 - xii. sub-regulation (XIX);
 - xiii. sub-regulation (XX);
 - xiv. sub-regulation (XXI);
 - xv. sub-regulation (XXII);
 - xvi. sub-regulation (XXIII);
 - xvii. sub-regulation (XXV); and
 - xviii. sub-regulation (XXVI).

BABITHA RAYUDU, Executive Director

[ADV.T.-III/4/Ext./306/2023-24]